इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेशा राजपत्र

### ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल 2015—वैशाख 4. शक 1937

## तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2015

क्र. एफ 1-38-2014-बयालीस-(1)—मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रं. 44 सन् 1973) धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पोलीटेकिनक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भरती) नियम, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं: अर्थात:—

### संशोधन

उक्त नियमों में, खण्ड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाए, अर्थात्:—

- ''(ढ) 'लिखित परीक्षा' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या किसी सरकारी पदाभिहित एजेन्सी द्वारा सेवा में भरती के लिए संचालित कोई परीक्षा या राष्ट्रीय स्तर की कोई परीक्षा जैसे इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट अथवा नेशनल एलीजिबिलिटी टेस्ट अथवा राज्य सरकार द्वारा भरती के प्रयोजन के लिए यथा अनुमोदित इन परीक्षाओं के समतुल्य कोई अन्य परीक्षाः''
- 2. नियम 11 में, उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात्:—
  - स्पष्टीकरणः—'लिखित परीक्षा' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या किसी सरकारी पदाभिहित एजेन्सी द्वारा सेवा में भरती के लिए संचालित कोई परीक्षा या राष्ट्रीय स्तर की कोई परीक्षा जैसे इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट अथवा नेशनल एलीजिबिलिटी टेस्ट अथवा राज्य सरकार द्वारा भरती के प्रयोजन के लिए यथा अनुमोदित इन परीक्षाओं के समतुल्य कोई अन्य परीक्षा.

No. F-1-38-2014-XLII (1)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973) the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Technical Education Polytechnic Collage (Teaching Cadre) Service (Recruitment) Rules, 2004, namely:—

#### **AMENDMENTS**

In the said rules,—

- 1. In rule 2, after clause (m), the following clause shall be added, namely:—
  - "(n) 'Written Examination' means an examination conducted for recruitment in the service by Madhya Pradesh Public Service Commission or any Government designated agency or National level examination such as Graduate Aptitude Test in Engineering or National Eligibility Test or any other examination equivalent to these exams as approved by the State Government for recruitment purpose.";
- 2. In rule 11, after sub-rule (2), the following explanation shall be added, namely:—

**Explanation:** 'Written Examination' means an examination conducted for recruitment in the service by the Madhya Pradesh Public Service Commission or any Government designated agency or National level examination such as Graduate Aptitude Test in Engineering Examination or National Eligibility Test or any other examination equivalent to these exams as approved by the State Government for recruitment purpose.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शमीम उद्दीन, अपर सचिव.